जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-04.03.2025

थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम गढ़ीश्याम के जंगल के रास्ते में हुई युवक की हत्या में वांछित 03 हत्याभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल अवैध हथियार, कारतूस व मोटर साईकिल बरामदः-

दिनांक 02.03.2025 को पशु अस्पताल ग्राम गंगेरु में कार्यरत देवराज पुत्र स्व0 कर्म सिंह निवासी ग्राम गढ़ीश्याम थाना कांधला जनपद शामली अपने गाँव से ग्राम गंगेरु अपने आवास पर जा रहा था ग्राम गढ़ीश्याम के रास्ते पर 03 मोटर साईकिल सवार अभियुक्तगण द्वारा देवराज को गोली मार दी गयी थी। घायल देवराज उपरोक्त को वास्ते उपचार सीएचसी कांधला भर्ती कराया गया, जहां पर दौराने उपचार देवराज की मृत्यु हो गयी थी। उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुये, मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। घटना के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी श्रीमती सोनिया की तहरीर के आधार थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम गढ़ीश्याम के जंगल के रास्ते में हुई युवक की हत्या में वांछित 03 हत्याभियुक्तों को जिडाना रजवाहा पटरी ईट भट्टे के पास गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 02 तमंचे 315 बोर 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व एक मोटर साईकिल एचएफ डीलक्स बरामद हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का उद्देश्य :- अभियुक्त मंजीत उर्फ निप्पल पुत्र मैनपाल निवासी ग्राम गढीश्याम थाना कांधला जनपद शामली के पिता मैनपाल पुत्र अतर सिंह सीआरपीएफ में अनुसूचित जाति के कागजात लगाकर भर्ती हुये थे जबकि वास्तविक जाति गुर्जर है। इस बात की जानकारी मृतक देवराज को हो गयी थी। देवराज ने मंजीत उर्फ निप्पल के पिता मैनपाल की शिकायत सीआरपीएफ के अधिकारीयों से कर दी थी जिसके सम्बन्ध में जांच प्रचलित है तथा मंजीत उर्फ निप्पल के पिता मैनपाल की नौकरी जाने व फंड के रूपये व पेंशन मिलने की सम्भावना भी नही है। मंजीत उर्फ निप्पल व उसके परिवार वालो ने देवराज की काफी खुशामद की किन्तु देवराज मानने को तैयार नही था। इसी बात को लेकर मंजीत उर्फ निप्पल पुत्र मैनपाल व उसके दोस्त मंजीत उर्फ सुमित पुत्र नेत्रपाल व अंकित पुत्र कालूराम निवासीगण ग्राम गढीश्याम थाना कांधला जनपद शामली ने देवराज की हत्या करने की योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 02.03.2025 को ग्राम गढीश्याम से ग्राम गंगेरू जाते समय गढीश्याम के जंगल में शाम 07.00 बजे गोली मारकर हत्या कर दी थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मनजीत उर्फ निप्पल पुत्र मैनपाल निवासी ग्राम गढ़ीश्याम थाना कांधला जनपद शामली।

2.मनजीत पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम गढ़ीश्याम थाना कांधला जनपद शामली।

3.अंकित पुत्र कालूराम निवासी ग्राम गढीश्याम थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.आलाकत्ल 02 अदद तमंचे 315 बोर व चार जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।

2.घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल एचएफ डीलक्स रजि0नं0 नं0 UP19-8042

आपराधिक इतिहास अभि0 मंजीत उर्फ सुमित पुत्र नेत्रपाल उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 295/2016 धारा 342/394/302 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 435/2016 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 176/2018 धारा 147/148/149/307/272/273 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 246/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 479/2020 धारा 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 481/2020 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 192/2024 धारा 147/323/427 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 37/2025 धारा115(2)/191(1)/191(3)/351(2)/352 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 95/2025 धारा 103(1)/3(5)/352 बीएनएस 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मंजीत उर्फ निप्पल पुत्र मेनपाल उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 95/2025 धारा 103(1)/3(5)/352 बीएनएस धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 225/2024 धारा 115(2)/351(2) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित पुत्र कालूराम उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 95/2025 धारा 103(1)/3(5)/352 बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 37/2025 धारा 115(2)/191(2)/191(3)/351(2)/352 बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 192/2024 धारा 147/323/427 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामदः-</u>

ज्ञात हो दिनाँक 14.02.2025 को वादी गुलबहार पुत्र जलालूदी निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19J6460 को अज्ञात चोर द्वारा देव हास्पिटल के पास से चोरी कर ली गयी थी । घटना के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

इसी क्रम में दिनांक 03.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा 02 वाहन चोरो को चोरी की गयी मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.कुलदीप पुत्र मुकेश निवासी मौहल्ला हाफिज दोस्त थाना थानाभवन जनपद शामली ।

2.अमित पुत्र राजकुमार निवासी मौहल्ला हाफिज दोस्त थाना थानाभवन जनपद शामली ।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0नं0 UP19J6460 ।

थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 26.02.2025 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.रिहान पुत्र साजिद निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI